ED-204641570IN
28-9-17

सेवा मे,

DyH. 342/AA/SW
28-9-17

No 255/AA/SW
28-9-17

First Appellate Authority Cum-
Deputy Commissioner of Police,
South West District, D.C.P. Office,
Dwarka Sector-19, New Delhi-110075

दिनाँक 21.09.2017

DCP/SW
Addl. DCP-I/SW
Addl. DCP-II/SW
Branch RTI Officer
No. 24869
Dt. 28/9/17
Insp./Admn.

विषय: - जनसूचना अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने बारे |
(सन्दर्भ पत्र संख्या, 12641 (ID-2131/17) (D-III), दिनाँक 30.08.2017)

श्रीमान जी,

मुझे आपके उपरोक्त पत्र के संदर्भ बिंदु संख्या 1 से 14 तक की सुचना प्रदान की गई | जो सुचना **प्रदान की गई वो अधूरी है** (कॉपी सलंग्न) तथा **मैं उस सुचना से संतुष्ट नहीं हु** | ***मुझे पॉइंट नंबर 1 से 14 पर जो सुचना (RTI के अनुसार) मांगी थी वो नहीं मिली है ?***

1. पॉइंट नंबर 1 से 5 पर मैंने पीसीआर कॉल से संबधित ***दिनाँक, समय, घटना स्थल और*** पूरा विवरण भी दिया हुआ है तब भी मुझे सुचना प्रदान नहीं की गई ?
2. पॉइंट नंबर 6 से 8 पर यह सुचना थर्ड पार्टी नहीं, **आपने जिस सेक्शन** Sec 8(1)(e&j) **के तहत सुचना** थर्ड पार्टी से संबधित **देने से** मना **किया था उस सेक्शन** Sec 8(1)(e&j) **में माननीय** केंद्रीय सुचना आयोग **(CIC) ने अपना निर्णय इस लेटेर नंबर** (Case No.CIC/MP/A/2015/0000434, Date.15.10.2015) **से** सुचना **प्रदान की हुई है** ?
3. पॉइंट नंबर 9 से 11 पर मैंने अपनी लिखित शिकायत की **सत्यापित कॉपी**, जाँच रिपोर्ट और ATR मांगी थी, वो भी प्रदान नहीं की ? कृपया करके प्रदान की जाये ?
4. पॉइंट नंबर 12 में **मैंने ACP/Dabri Office Staff** का दिनाँक **14.04.2015** का **दिन और रात** की हाजरी रजिस्टर की सत्यापित कॉपी जो की प्रदान नहीं की गई ?
5. पॉइंट नंबर 13 से 14 में कांस्टेबल मुनेश की DD No. 64B की सत्यापित कॉपी भी प्रदान नहीं की गई ?
6. और ना ही ये **बताया गया** की कांस्टेबल मुनेश उस रात FIR No. 284/2015, दिनाक 29-05-2015 की कॉल पर गई या नहीं ?

कृपया करके मुझे उपरोक्त की सुचना / सत्यापित कॉपी प्रदान की जाये | आपकी अति कृपया होगी | धन्यवाद

सलंग्न: फोटोकॉपी उपरोक्त
पत्र संख्या, 12641 (ID-2131/17) (D-III), दिनाँक 30.08.2017

प्रार्थी

राजेश कुमार पुत्र श्री नानक चंद
गाँव-सुन्दरपुर, पोस्ट ऑफिस-पलवल,
जिला-कुरुक्षेत्र, तहसील थानेसर
हरियाणा, पिनकोड-136131
Email:- rajesh_8883@yahoo.co.in

नोट:- *# यदि यह सुचना या इसका कोई अंश (पार्ट्स) आपके सर्किल में नहीं आती तो कृपया कर संबधित विभाग को प्रेसित करे | धन्यवाद*

(स्पीड पोस्ट के द्वारा)

कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस एवं जन सूचना अधिकारी दक्षिण-पश्चिम जिला, सैक्टर -19, द्वारका, नई दिल्ली ।

संख्या 12641 /(आई०डी०- 2131/17)/(डी०-III)/सू० का अ० प्र०/द०प० जिला, दिनांक 30/8/2017.

सेवा में,

श्री राजेश पुत्र श्री नानक चंद,
गाँव सुन्दरपुर , पो० पलवल, जिला कुरुक्षेत्र,
तहसील थानेसर, हरियाणा, पिनकोड-136131 ।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, के तहत

आपका आवेदन पत्र दिनांक 28.07.2017, जोकि इस कार्यालय में दिनांक 02.08.2017 को प्राप्त हुआ ।

इस संदर्भ में आपके द्वारा वांछित सूचना सहायक आयुक्त पुलिस, दिल्ली छावनी, डाबड़ी, स्थापना शाखा व शिकायत शाखा/दक्षिण पश्चिम जिला से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार निम्न प्रकार है:-

बिं. सं.	सूचना
1 से 5	पीसीआर कॉल का रिकॉर्ड, दिनांक, समय, घटना तथा घटनास्थल के आधार पर रखा जाता है, अत: पूर्ण विवरण प्रदान करने पर सूचना दी जा सकती है ।
6 से 8	इस संदर्भ में आपने श्रीमती ज्योति पत्नी श्री राकेश कुमार द्वारा दिनांक 26.11.2016 को की गयी पीसीआर कॉल से सम्बन्धित जानकारी चाही है, जोकि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 3rd पार्टी सूचना है जो सभी के साथ साँझा नहीं की जा सकती । इस सन्दर्भ में श्रीमति ज्योति पत्नी श्री राकेश कुमार को आपके पूर्वती आवेदन पत्र में उपरोक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के तहत सहमति/असहमति के लिए 3rd पार्टी नोटिस भेजा गया था । उपरोक्त नोटिस के जबाब में श्रीमति ज्योति ने अपने से सम्बन्धित किसी भी सूचना को देने से मना किया था । अत: सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(e &) के तहत वांछित जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है ।
9 से 11	इस संदर्भ में एक शिकायत थाना पालम गाँव में शिकायंत संख्या LC-2556/SHO/PV दिनांक 26.10.2015 से प्राप्त हुई जिसको जाँच के पश्चात आपकी अन्य शिकायत संख्या TC-901/ACP/Dabri(9578/HAC-IV/SWD) के साथ फाइल किया जा चूका है । चूँकि सम्बन्धित शिकायत फाइल में काफी दस्तावेज़ हैं अत:. आप उक्त फाइल का निरिक्षण करके वांछित सूचना प्राप्त कर सकतें हैं ।
12	रिकॉर्ड के अनुसार, दिनांक 14.04.2015 को ACP/Dabri साहब मेडिकल या छुट्टी पर नही थे ।
13 व 14	रिकॉर्ड के अनुसार, महिला सिपाही मुनेश 2347/SW की इयूटी Women Help Desk पर थी, जिसकी मामुरी DD न०-64-B दिनांक 28.05.2015 से की गयी थी । कॉल पर जाने की अलग से कोई रवानगी नही है ।
15	adcp1-southwest-dl@nic.in
16	सूचना अधिकार अधिनयम 2005 के प्रावधानों के अनुसार सूचना हासिल की जा सकती है अत: कोई टिप्पणी नहीं ।

नोट:- इसके अलावा शिकायत शाखा/द०प० जिला मे आकर आप बिंदु संख्या 9 से 11 में वर्णित शिकायत फाइल का निरिक्षण इस पत्र के जारी होने के 1 माह के अन्दर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे से 03.00 बजे दोपहर तक कर सकते है "सूचना का अधिकार अधिनियम-2005" के अंतर्गत, निर्धारित शुल्क प्रति पृष्ठ 2/- रुपए की दर से जमा करवाकर वांछित जानकारी/दस्तावेज हांसिल कर सकते है । निरिक्षण के दौरान आप अपना **पहचान पत्र** साथ लाएं ।

(यदि आप दिये गये जवाब से संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं उपायुक्त पुलिस दक्षिण-पश्चिम जिला, सैक्टर -19, द्वारका, नई दिल्ली को इस पत्र के मिलने के 30 दिन के अन्दर सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपील कर सकते है)

30/8/17
(गौरव शर्मा)भा.पु.से.
जन सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस,
दक्षिण-पश्चिम जिला, सैक्टर -19, द्वारका, नई दिल्ली ।
दूरभाष: 011-28041550-(RTI Cell).